

**न्यायालय:—श्रीष कैलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट (म.प्र.)**

आप. प्रक. क.—342 / 2008
संस्थित दिनांक—19.05.2008
फाईलिंग नं.—234503000282008

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—मलाजखण्ड,
जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **अभियोजन**

// **विरुद्ध** //

गणेश धुर्वे पिता रामलाल धुर्वे, उम्र—32 वर्ष,
निवासी—वार्ड नंबर—4, भटेरा चौकी, थाना कोतवाली,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **आरोपी**

// **निर्णय** //

(आज दिनांक—21/07/2016 को घोषित)

1— आरोपी दिलीप कुमार के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 338 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—05.05.2008 को 9.30 बजे, ग्राम भीमजोरी अन्तर्गत थाना मलाजखण्ड में लोकमार्ग पर वाहन होण्डा मोटरसाईकिल क्रमांक—एम.पी—50/एम.ए—5315 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया, उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर आहत विशाल को टक्कर मारकर बाएं पैर में अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित की।

2— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना मलाजखण्ड में पदस्थ प्रधान आरक्षक को रोजनामचा सान्हा क्रमांक—220/5/8 पर मलाजखण्ड अस्पताल से लिखित तहरीर प्राप्त हुई थी। उपरोक्त तहरीर बाबत जांच में साक्षी संतोष, गणेश, दिलीप के कथन से यह जानकारी हुई कि दिनांक—05.05.2008 को रात्रि 9:30 बजे आरोपी विशाल टेकाम, संतोष, प्रदीप माचिस लाने के लिए गए थे। और वे जब घर के सामने रोड पर खड़े हुए थे, तभी आरोपी गणेश मोटरसाईकिल तेज रफ्तार एवं लापरवाही पूर्वक लेकर चलाकर लाया और विशाल को टक्कर मार दी। आहत के सिर पर बाएं पैर पर चोट आई थी, जिसे अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल में उसे गंभीर उपहति होना बताया गया। उपरोक्त आधार पर आरोपी वाहन चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक—43/2008, धारा—279, 337, 338 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा आहत का मेडिकल परीक्षण कराया गया, पुलिस ने अनुसंधान के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा बनाया, गवाहों के कथन लेखबद्ध किये गये तथा आरोपी से घटना में प्रयुक्त वाहन की जप्ती गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338 के अपराध के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान फरियादी/आहत विशाल ने आरोपी से राजीनामा कर लिया, जिस कारण आरोपी को शमनीय प्रकृति की धारा-338 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत अपराध से दोषमुक्त किया गया तथा शेष धारा-279 भा.द.वि. शमनीय न होने से उक्त धारा का विचारण पूर्ण किया गया है। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र. सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया है।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-05.05.2008 को 9.30 बजे, ग्राम भीमजोरी अन्तर्गत थाना मलाजखण्ड में लोकमार्ग पर वाहन होण्डा मोटरसाईकिल क्रमांक-एम.पी-50/एम.ए-5315 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

विचारणीय बिन्दु का निष्कर्ष :-

5— प्रकरण में आहत विशाल टेकाम की मृत्यु के संबंध में मृत्यु प्रमाणपत्र अभिलेख में प्रस्तुत किया गया है। मृतक के पालक गणेश टेकाम द्वारा अभिलेख पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-320(4) के अंतर्गत राजीनामा आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया। राजीनामे के आधार पर आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-338 के अंतर्गत अपराध से दोषमुक्त किया गया है तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 का अपराध शमनीय प्रकृति का न होने से निर्णय किया जा रहा है।

6— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी गणेश टेकाम (अ.सा.1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह ग्राम भीमजोरी में रहता है तथा मजदूरी का कार्य करता है। घटना वर्ष 2008 की है। उसका पुत्र विशाल अपने मित्रों के साथ दुकान घुमने गया था और जब वह वापस आ रहा था, तब रात्रि में उसके पुत्र की दुर्घटना हुई थी। उसे दुर्घटना के बाद जानकारी हुई, तब वह घटनास्थल पर गया था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इंकार किया कि उसने आरोपी को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए एवं दुर्घटना कारित करते हुए देखा था। साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया कि उसने प्रदर्श पी-1 में यह लेख कराया था कि आरोपी ने तेज गति एवं लापरवाही से वाहन चलाकर उसके पुत्र को टक्कर मारी थी। साक्षी ने आरोपी से राजीनामा होना स्वीकार किया है। प्रकरण में आहत विशाल की मृत्यु हो जाने से उसका न्यायालयीन परीक्षण नहीं कराए जा सका हैं। अभियोजन कहानी के अनुसार साक्षी गणेश टेकाम (अ.सा.1) मौके का चक्षुदर्शी साक्षी है। उसने अपने न्यायालयीन

परीक्षण में यह कहा है कि घटना दिनांक को उसका पुत्र दुकान गया था, जहां दुर्घटना हुई थी। साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी ने उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक वाहन चलाकर उसके पुत्र को टक्कर मारी थी। उपरोक्त आधारों पर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 के अंतर्गत अपराध किये जाने के तथ्य प्रमाणित न होने से आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 के अंतर्गत दोषमुक्त किया जाता है।

7— प्रकरण में आरोपी दिनांक-25.01.2016 से दिनांक-28.01.2016 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहा है। इस संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

8— प्रकरण में आरोपी की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा-437(क)के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

9— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन होण्डा मोटरसाईकिल क्रमांक-एम. पी-50/एम.ए-5315 सुपुर्ददार श्रीमती सकुनतला पति दिनेश तेकाम, साकिन भीमजोरी, थाना मलाजखण्ड तहसील बैहर, जिला बालाघाट को सुपुर्दनामा पर प्रदान की गई है जो अपील अवधि पश्चात् सके पक्ष में निरस्त समझी जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर
हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया।

सही /—

बैहर,
दिनांक-21.07.2016

(श्रीष कौलाश शुक्ल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट